संख्या–म0नि0–II–उ0 यो0–86/2021–22/ 04 क्र0 प्रि0

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(पशुपालन प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

राँची/दिनांक 10.06.25

विषय– **केन्द्र प्रायोजित ''प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना'' हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 में निर्गत स्वीकृत्यादेशों के द्वारा स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के क्रम मे भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में विमुक्त केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश सहित कुल राशि मो0 3750.00 लाख (सैंतीस करोड़ पचास लाख) रू0 मात्र के व्यय तथा गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के तहत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित केन्द्रांश/राज्यांश एवं लाभुक का अंशदान सहित कुल मो0 692.00 लाख (छः करोड़ बेरानबे लाख) रुपये मात्र की परियोजना लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक के लिए केन्द्र प्रायोजित ''प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना'' प्रारम्भ की गई थी। मत्स्य पालन विभाग, केन्द्र सरकार के पत्रांक F.No. j-01013/81/2024-Fy दिनांक 31-03-2025 द्वारा उक्त योजना का अवधि विस्तार 2025–26 तक के लिए करते हुए वित्तीय वर्ष 2025–26 में इसके क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में मत्स्य पालन विभाग, केन्द्र सरकार के पत्रांक F.No. j-01011/1/2020-Fy-(E-17706) दिनांक 28.04.2025 द्वारा इस योजना अंतर्गत पूर्व वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–25 (DAJGUA सहित) में स्वीकृत परियोजनाओं में केन्द्रांश के रुप में कुल मो0 **2250.00 लाख (बाईस करोड़ पचास लाख)** रु0 मात्र का **Allocation of Central fund as Mother Sanction** निम्न प्रकार विमुक्त किया गया है –

(राशि लाख रु0 में)

क्रम	लाभुकों की कोटि	भारत सरकार द्वारा Mother Sanction के रुप में विमुक्त राशि
1	General	1100.00
2	SCSP	220.00
3	TSP	930.00
	कुलः	**2250.00**

उल्लेखनीय है कि मत्स्य पालन विभाग, केन्द्र सरकार के पत्रांक F.No.j-01013/48/2024-Fy दिनांक 25-03-2025 द्वारा केन्द्र प्रायोजित ''प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान - DAJGUA के लिए गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार से कुल मो0 692.00 लाख़ (छः करोड़ बेरानवे लाख) रूपये मात्र का प्रशासनिक अनुमोदन निर्गत है। इसमें मात्र अनुसूचित जनजाति के लिए Beneficiary Oriented Schemes के रुप में पत्रांक–j-01013/48/2024-Fy दिनांक 25.03.2025 द्वारा अनुमोदित परियोजनाएँ निम्न हैं –

?

(राशि लाख रु0 में)

Category	Project Cost	Central Share	State Share	Beneficiary Share
ST	692.30	373.84	249.23	69.23
Rounded Total (Say):	**692.00**	**374.00**	**249.00**	**69.00**

यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा DAJGUA के लिए गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपरोक्त अनुमोदित परियोजनाओं के विरुद्ध केन्द्रांश मद की राशि विमुक्त नहीं की गई है। किन्तु चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में भारत सरकार द्वारा निर्गत Mother Sanction संबंधी उक्त वर्णित पत्र की कंडिका–4 में अंकित दिशा–निर्देश के अनुसार गत वित्तीय वर्ष में DAJGUA के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के विरुद्ध उक्त निर्गत Mother Sanction का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

उक्त वर्णित स्थिति में केन्द्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 में निर्गत स्वीकृत्यादेशों (स्वीकृत्यादेश सं0– 49 रा0 (वि0) दिनांक 31.03.2021, स्वीकृत्यादेश सं0– 18 रा0 (वि0) दिनांक 03.09.2021, स्वीकृत्यादेश सं0– 40 रा0 (वि0) दिनांक–17.02.2022, स्वीकृत्यादेश सं0 22 रा0 (वि0) दिनांक–07.11.2022, स्वीकृत्यादेश सं0–49 रा0 (वि0) दिनांक–23.03.2023, स्वीकृत्यादेश सं0–29 रा0 (वि0) दिनांक–01.12.2023, स्वीकृत्यादेश सं0–34 रा0 (वि0) दिनांक–16.01.2024, स्वीकृत्यादेश सं0– 39 रा0 (वि0) दिनांक 14.10.2024, स्वीकृत्यादेश सं0– 45 रा0 (वि0) दिनांक 27.12.2024 एवं शुद्धि–पत्र संख्या–274 दिनांक 17.03.2025) के द्वारा स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के क्रम मे भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में विमुक्त केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश सहित कुल राशि मो0 3750.00 लाख (सैंतीस करोड़ पचास लाख) रू0 मात्र के व्यय तथा गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के तहत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित केन्द्रांश/राज्यांश एवं लाभुक का अंशदान सहित कुल मो0 692.00 लाख (छः करोड़ बेरानबे लाख) रुपये मात्र की परियोजना लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. **2.1** इस योजना अंतर्गत पूर्व वित्तीय वर्ष **2020–21 से 2024–25** में स्वीकृत परियोजनाओं में केन्द्रांश की अगली किस्त की राशि कुल मो0 **2250.00 (बाईस करोड़ पचास लाख)** रु0 मात्र की गणना भारत सरकार के द्वारा निम्न प्रकार से है –

(Rs. in lakh)

Sl. No.	Financial Year	Name of the Project - Fisheries Developmental proposal with Approval Date	TPC	Central share	Mother Sanction (Current Relaese)		
					GEN +W	SC	ST
1	2020-21	Fisheries Developmental project of FY 2020-21 dated 05-01-2021 and 22.03.2021	10451.80	3237.12	384.02	56.70	124.00
2	2021-22	Fisheries Developmental project under PMMSY of FY 2020-21 dated 28.09.2021	12030.90	4038.37	187.14	20.90	68.40
3	2022-23	Fisheries Developmental project of FY 2022-23 dated 11-08-2022	8552.20	2900.74	186.83	5.34	60.60
4	2023-24	Fisheries Developmental project of FY 2022-23 dated 26-07-2023, 20.09.2023 and 26.12.2023	11888.86	4256.63	275.74	113.02	260.00
5	2024-25	Fisheries Developmental project of FY 2024-25 dated 06-08-2024	1132.60	385.54	66.27	24.04	417
Total			43856.36	14818.40	1100.00	220.00	930.00
Grand Total					2250.00		

मो0 2250.00 लाख(बाईस करोड़ पचास लाख) रू0 मात्र।

2.2 मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार के Mother Sanction संबंधी पत्र F.No. j-01011/1/2020-Fy- (E-17706) दिनांक 28.04.2025 की कंडिका–4 में अंकित दिशा–निर्देश के अनुसार गत वित्तीय वर्ष में DAJGUA के तहत मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार के पत्रांक j-01013/48/2024-Fy दिनांक 25.03.2025 द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के विरुद्ध उक्त निर्गत Mother Sanction का उपयोग करने की अनुमति राज्य सरकार को दी गई है।

2.3 योजनान्तर्गत DAJGUA के तहत निजी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति लाभुकों की योजनाओं में कोटिवार लाभुकों का अंशदान निम्न प्रकार है –

लाभुकों की कोटि	अनुदान की राशि (90%)		लाभुक का अंशदान
	केन्द्रांश	राज्यांश	
अनुसूचित जनजाति	60 %	40%	10 %

2.4 भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत DAJGUA के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार के पत्रांक–j-01013/48/2024-Fy दिनांक 25.03.2025 में वर्णित शर्त्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. (क) इस योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन में कुल मो0 7601.00 लाख रु0 मात्र का योजना उद्व्यय एवं समतुल्य बजट उपबंध प्राप्त है।

(ख) विषयक केन्द्र प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2025–26 में भारत सरकार के **Mother Sanction** द्वारा विमुक्त पूर्व वित्तीय वर्ष की स्वीकृत परियोजनाओं (DAJGUA सहित) के केन्द्रांश की अगली किस्त तथा समानुपातिक स्वीकृत राज्यांश का व्यय STATE SCHEME - PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA (1848) एवं CENTER SCHEME - PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA (PMMSY) (3890) के तहत निम्न लघु शीर्षों में किया जायेगा –

माँग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–77–प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

(राशि रू0 में)

क0	विस्तृत शीर्ष	स्वीकृत बजट उपबंध	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष बजट उपबंध
	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली–पालन			
1	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) **53C24050010177010649**	200000000.00	123000000.00	77000000.00
	कुल केन्द्रांश	**200000000.00**	**123000000.00**	**77000000.00**
2	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश) **53S24050010177010649**	133300000.00	82000000.00	51300000.00
3	06–अनुदान–49–अन्य व्यय (राज्यांश) **53S24050010177010759**	3700000.00	0.0	3700000.00
4	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश – स्टेट टॉप अप) **53X24050010177010649**	18000000.00	0.0	18000000.00
	कुल राज्यांश	**155000000.00**	**82000000.00**	**73000000.00**
	लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
5	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) **53C24050078977010649**	100000000.00	22000000.00	78000000.00
	कुल केन्द्रांश	**100000000.00**	**22000000.00**	**78000000.00**
6	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश) **53S24050078977010649**	66700000.00	14667000.00	52033000.00

7	07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय (राज्यांश) **53S24050078977010759**	1000000.00	0.00	1000000.00
8	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश – स्टेट टॉप अप) **53X24050078977010649**	9000000.00	0.00	9000000.00
	कुल राज्यांश	**76700000.00**	**14667000.00**	**62033000.00**
	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
9	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) **53C24050079677010649**	124900000.00	80000000.00	44900000.00
	कुल केन्द्रांश	**124900000.00**	**80000000.00**	**44900000.00**
10	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश) **53S24050079677010649**	83200000.00	53333000.00	29867000.00
11	07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय (राज्यांश) **53S24050079677010759**	2300000.00	0.0	2300000.00
12	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश – स्टेट टॉप अप) **53X24050079677010649**	18000000.00	0.0	18000000.00
	कुल राज्यांश	**228400000.00**	**53333000.00**	**50167000.00**
	सकल केन्द्रांशः	**424900000.00**	**225000000.00**	**199900000.00**
	सकल राज्यांश	**335200000.00**	**150000000.00**	**185200000.00**
	कुल योग (2405) :	**760100000.00**	**375000000.00**	**385100000.00**

मो0 3750.00 लाख (सैंतीस करोड़ पचास लाख) रू0 मात्र।

4. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिलों के कोषागार से की जायेगी।

5. इस योजना के तहत् स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय Public Financial Management System (PFMS) की नई प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जायेगा तथा इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा समय–समय पर संसूचित सभी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. केन्द्र प्रायोजित–प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का चयन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, PFMS Division, भारत सरकार के पत्रांक 1(27)/PFMS/2020 दिनांक 04.09.2023 द्वारा SNA – SPARSH Module पर कियान्वयन हेतु किया गया है। ऐसी स्थिति में SNA – SPARSH Module पर इस संदर्भ में भारत सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर संसूचित सभी दिशा–निर्देशों के साथ–साथ भारत सरकार के पत्रांक F.No. j-01011/1/2020-Fy-(E-17706) दिनांक 28.4.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये Mother Sanction में अंकित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. इसके अतिरिक्त प्रासंगिक योजना के तहत् भारत सरकार के द्वारा संसूचित सभी दिशा निदेशों एवं SLAMC द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

8. इस योजना के कार्यान्वयन में भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की मार्गदर्शिका तथा विगत वित्तीय वर्षों में निर्गत संबंधित विभागीय स्वीकृत्यादेशों/शुद्धि पत्रों में निरुपित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

9. सभी जिला मत्स्य पदाधिकारियों द्वारा योजना का भौतिक प्रगति एवं स्थल verification प्रतिवेदन साक्ष्य सहित मत्स्य निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा। योजनान्तर्गत DAJGUA के तहत स्वीकृत योजनाओं का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में प्रत्येक माह निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा ताकि इसे भारत सरकार को नियमित रुप से भेजा जायेगा।

14. योजनान्तर्गत DAJGUA के तहत निर्धारित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट–1** के रूप में संलग्न है। जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों के द्वारा अपना अंशदान

व्यय किया जाए। भारत सरकार द्वारा DAJGUA हेतु निर्गत प्रशासनिक अनुमोदन की तिथि से 12 माह की अवधि के अंदर कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

10. इस स्वीकृत्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि का व्यय विगत वित्तीय वर्षों में निर्गत संबंधित विभागीय स्वीकृत्यादेशों/शुद्धि पत्रों के साथ संलग्न परिशिष्टों द्वारा स्वीकृत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के लिए किया जायेगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों के द्वारा अपना अंशदान व्यय किया जाए। कार्य की प्रगति के अनुसार तीन किस्तों में अनुदान की राशि विमुक्त की जाएगी तथा अंतिम किस्त कार्य पूर्ण होने के बाद विमुक्त की जाएगी।

11. व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा भौतिक प्रगति का प्रतिवेदन प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची एवं मत्स्य निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा ताकि इसे भारत सरकार को नियमित रुप से भेजा जायेगा।

12. आगामी वित्तीय वर्षों में भारत सरकार से विमुक्त राशि के समानुपातिक योजना का स्वीकृत्यादेश सम्यक् योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त करते हुए निर्गत किया जाएगा।

13. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश, प्रशासनिक अनुमोदन एवं राशि विमुक्ति हेतु निर्गत पत्रों, Mother Sanction में निहित सभी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का निम्नांकित शर्त्त के साथ अनुमोदन प्राप्त है :–

(i) योजना क्रियान्वयन के संबंध में वित्त विभाग, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग एवं सरकार के अन्य विभागीय शर्त्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

(ii) नियमानुसार आवश्यक उपयोगिता प्रमाण–पत्र/व्यय प्रतिवेदन प्राप्त कर एवं अन्य सभी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर ही अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की निम्नांकित शर्त्त के साथ सहमति प्राप्त है :–

''मा० विभागीय मंत्री के निदेशों का अनुपालन एवं वित्त विभागीय अधिसूचना सं०–2315 दिनांक–04.10.2024 द्वारा अधिसूचित Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual में निहित प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।''

16. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेबसाईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– म0नि0–II–उ0 यो0–86/2021–22/04 रा०प० **राँची, दिनांक** 10.06.25

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– म0नि0–II–उ0 यो0–86/2021–22/04 रा०प० **राँची, दिनांक** 10.06.25

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची /संयुक्त मत्स्य निदेशक (स्थापना एवं लेखा प्रशासन)/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/सभी सहायक मत्स्य निदेशक (तकनीकी)/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– ग0नि0–II–उ0 यो0–86 / 2021–22 / 04 रॉची, दिनांक 10.06.25

प्रतिलिपि : योजना–सह–विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची / वरीय लेखा पदाधिकारी, PFMS, झारखण्ड, राँची / आ0 वि0 सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग / सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त / माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव / मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव